

आवेदन-पत्र
आचार्य विद्यासागर गोसंवर्धन योजना
वर्ष 2020 -21

- 1- आवेदक का नाम:- -----
- 2- पिता/पति का नाम:- -----
- 3- निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता :- -----

- 4- मोबाइल नम्बर:- -----
- 5- आधार कार्ड नम्बर:- -----
- 6- समग्र आई. डी. नम्बर:-

- 7- प्रस्तावित इकाई का पता:- -----
- 8- आवेदक के पास वर्तमान में उपलब्ध पशुओं का विवरण:-
- 8.1- प्रजाति -----
- 8.2- नरल -----
- 8.3- संख्या -----
- 9- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता:- -----
- 10- आवेदन दिनांक को उम्र- वर्ष ----- माह ----- दिन -----
- 11- आवेदक की श्रेणी- सामान्य/अ.पि.वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा.(प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
- 12- लिंग- पुरुष / महिला
- 13- कुल योजना लागत राशि रूपये (योजना प्रतिवेदन संलग्न)

पासपोर्ट फोटो

क्र.	पशु का प्रकार	पशु का नरल	पशु संख्या	पशुओं की अनुमानित राशि	अन्य व्यय रु.	कुल इकाई लागत रु.

- 14- प्रस्तावित वित्तीय प्रबंधः- -----
- 14.1- मार्जिनमनी सहायता राशि -----
- 14.2- रवयं की अंशदान राशि (10प्रति.)-----
- 14.3- बैंक से अपेक्षित ऋण राशि-----
- 15- बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता/चाहती हो -----
- 16- पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण। -----
- 17- अन्य विवरण -----

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर
मो.न. -----

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दू क्रमांक 01 से 17 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर पटवारी का प्रमाण-पत्र

आवेदक श्री/श्रीमति -----पिता/पति श्री -----
निवासी ----- के पास ग्राम -----मे ----- एकड़ कृषि
भूमि है।

पटवारी का नाम हस्ताक्षर एवं सील

आवेदक द्वारा बिन्दू क्रमांक 01 से 17 तक उल्लेखित जानकारी सत्य है एवं उन्हे योजना का लाभ दिया जाना अनुशंसित है।

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी नाम हस्ताक्षर एवं संस्था का नाम

ग्राम सभा का अनमोदन क्रमांक ----- दिनांक -----

हस्ताक्षर सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत.....

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी
नाम हस्ताक्षर एवं संस्था का नाम

जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति का अनुमोदन क्रमांक----दिनांक---

सचिव कृषि स्थायी समिति जनपद पंचायत ----- जिला खरगोन

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये की ठीप-

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्र .	घटक	6, दुधारु मुर्ग भैस की इकाई हेतु राशि	7, दुधारु मुर्ग भैस की इकाई हेतु राशि
1	दुधारु पशुओं(मुर्ग भैसों की कीमत 66,000 प्रति पशु की दर से)	3,96,000/-	4,62,000/-
2	पशु बीमा 3 वर्ष हेतु(7.50 की दर से)	29,700/-	34,650/-
3	औषधि हेतु प्रावधान रु.1,000 प्रति पशु के मान से)	6,000/-	7,000/-
4	पशु आहार(5 किलो प्रति पशु रु. 14 की दर से 3 माह हेतु)	37,800/-	44,100/-
5	पशु यातायात पर व्यय (प्रति पशु रु. 4,000)	24,000/-	28,000/-
6	हस्तचलित चैफ कटर	9,500/-	9,500/-
7	अन्य व्यय	4,250/-	4,250/-
8	अधोसंरचना	92,750/-	10,500/-
	योग रूपये	6,00000/-	6,00000/-

बैंक ऋण 75 प्रतिशत- 4,50,000/-
 मार्जिनमनी सहायता 25 प्रतिशत- 1,50,000/-

संलग्न:- दस्तावेज-

- 1- आधार कार्ड का छाया प्रति
- 2- राशन कार्ड --,--
- 3- वोटर आई. डी. --,--
- 4- समग्र आई. डी.--,--
- 5- बैंक पास बुक की छायाप्रति
- 6- पावती की छायाप्रति (व्यूनतम 1 एकड़)
- 7- ग्राम पंचायत का ठहराव-प्रस्ताव
- 8- जाति प्रमाण-पत्र छाया प्रति

आचार्य विद्यासागर गोसंवर्धन योजना का अनुबंध-पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी ----- पिता/पति -----
 निवासी ----- विकासखण्ड ----- जो कि प्रगतिशील पशुपालक/
 गौशाला/दुध सहकारी समिति का सदस्य हुँ आज दिनांक ----- को उप
 संचालक पशु चिकित्सा सेवाये खरगोन के साथ अनुबंध करता हुँ/करती हुँ।
 1- योजनान्तर्गत प्रदाय भैस/गाय का उपयोग दुध उत्पादन हेतु करुंगा/करुंगी तथा
 ग्राम की दुध सहकारी समिति मे दुध का विक्रय करुंगा/करुंगी।
 2- दुध उत्पादन व ऋण अदायिगी का संधारण पंजी मे करुंगा/करुंगी व
 समय-समय पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को पंजी का निरीक्षण
 कराउंगा/कराउंगी।
 3- इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो
 भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से (अधिकतम 25,000/- प्रति
 वर्ष) ब्याज का प्रति पूर्ति 7 वर्षों तक पशु पालन विभाग द्वारा का जावेगी। 5:
 से अधिक ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को ख्यां वहन करना होगी।
 4- 7 वर्षों पश्चात से पूर्ण 75 प्रतिशत हितग्राही को करनी होगी।
 5- यदि हितग्राही 75 प्रतिशतसे अधिक ऋण प्राप्त करता है तो इकाई लागत के
 75 प्रतिशत पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
 6- नियमित ऋण अदा न करने के कारण यदि योजनान्तर्गत प्रावधानिक कुल ब्याज
 की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज बढ़ता है तो उस अतिरिक्त
 राशि को हितग्राही को ख्यां वहन करना होगी।
 7- मैं नियमित रूप से ऋण व ब्याज राशि की अदायगी करता रहुंगा/रहूँगी।
 8- योजनान्तर्गत दुधारू पशुओं मे संकर जर्सी, संकर एच.एफ., साहीवाल, थरपाकर व
 गिर प्रजाति की गाय एवं भैसों मे केवल मुर्मी भैस ही योजना मे सम्मिलित
 होगी। पशुओं का उत्प्रेरण प्रदेश के बाहर से करना आवश्यक होगा।
 9- परियोजना लागत की 75: की राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करना
 होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिनमनी सहायता एवं हितग्राही को ख्यां के
 अंशदान के रूप मे करनी होगी।
 10- प्रदायित भैस/गाय को सभी आवश्यक यथा समय टीकाकरण कराउंगा/कराउंगी।
 11- प्रदायित भैस/गाय का यथा समय रोगोपचार, चिकित्सा रोग निदान हेतु आवश्यक
 रोग जॉच कराउंगा/कराउंगी।
 12- भैस/ गाय के खास्त्य रक्षा का पूर्ण ध्यान रखुंगा/रखुंगी तथा नियमित बीमा
 करवाते रहुंगा/रहूँगी।
 13- योजना से होने वाले लाभ से अन्य पशुपालको को भी दुध उत्पादन हेतु प्रेरित
 करुंगा/करुंगी।
 14- विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करुंगा/करुंगी।

(1) गवाह के हस्ताक्षर -----

नाम -----

पता -----

आवेदक के हस्ताक्षर -----

नाम -----

पता -----

मोबान. -----

(2)गवाह के हस्ताक्षर -----

नाम -----

पता -----

मोबान. -----

उप संचालक
पशु चिकित्सा सेवाये खरगोन